

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक-03/नि.प्रशि.(प्रशिक्षण राशि आकलन)-27/2024 (2) 1052 पटना, दिनांक 18/02/26

॥ शुद्धि पत्र ॥

सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या-585 दिनांक 29.01.2026 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

1. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की कंडिका-4 को निम्नवत् पढ़ा जाय:-
"इस राशि का आवंटन निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को दिया जाएगा। निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा उक्त राशि का उप-आवंटन संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया जाएगा, जो इस राशि के निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।"
2. सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के स्वीकृत्यादेश संख्या-585 दिनांक 29.01.2026 की कंडिका-4 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।
3. शेष शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगी।

ह०/-

(मो. अब्दुल रब खॉं)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-03/नि.प्रशि.(प्रशिक्षण राशि आकलन)-27/2024 (2) 1052 पटना, दिनांक 18/02/26

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना।
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबन्द लिफाफे में।
3. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।
4. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार/सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि./प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना।
5. अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/उप सचिव, प्रशाखा-03 एवं 05 सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/आई.टी. मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

1
14/21
17.02.2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

e.mail